न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14/2021 (2021/142) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जयश्री त्रिवेदी पत्नि संदीपकुमार त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—कंकु पुत्री रूपा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नोजी पुत्री रूपा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्यारचन्द पिता गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—03.12.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3501 रकबा 0.22 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि गिरीशचन्द्र पिता रामचन्द्र महाजन निवासी रायपुर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रकार्ड है परंतु उक्त वर्णित भूमि दिनांक 03.09.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रार्थीया ने क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। सेग्रीगेशन का ऑनलाईन प्रकिया का कार्य प्रगति होने के कारण प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण नही खुल पाया किन्तु बतौर खातेदार काबिज हुॅं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीया अपनी कृषि आराजी संख्या 3501 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पदैल आदि सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क से होकर फिर विपक्षीगण 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 3508 गे.मु. आचा की छुट की पश्चिमी पाली पर होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 3 की खातेदारी की आराजी संख्या 3507 की पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में विद्यमान है जिससे होकर पूर्व खातेदार पीढ़ीयो से आवागमन कर रहे है किन्तु कुछ समय से विपक्षीगण ने पत्थरो की दीवार चुनकर व थोहरो की बाड़ लगाकर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीया के आवागमन करने का कोई रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थीया उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रेकार्ड में किस्म बिलानाम गे.मु.रास्ता दर्ज करवाना चाहती है व नियमानुसार व न्यायालय आदेश के मुताबिक डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ते के अलावा [illegible] मौजुद नही है जिससे उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। अतः प्रार्थीया [illegible] पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रायपुर में स्थित प्रार्थीया की आराजी संख्या [illegible] विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज आराजी संख्या 3508 गे.मु.आ[illegible] व आगे [illegible] संख्या 3 की आराजी संख्या 3507 की पश्चिमी [illegible] है, को किस्म बि[illegible] रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीमात की जाने एवं उक्त रास्ते की शिघ्रातिशिघ्र खुलासा करने का ओदश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान करवाया जावें। साथ ही विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 को पांबद फरमाया जावे कि उक्त रास्ते को सदैव खुलासा रखें व बन्द नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 11.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 4 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई जिसमें अंकन किया कि जयश्री पत्नि संदीपकुमार त्रिवेदी सा.देह की खातेदारी भूमि ग्राम रायपुर कि आराजी संख्या 3501 रकबा 0.22 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि रायपुर से गंगापुर सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है उक्त भूमि में आवागमन हेतु मौके एवं रेकार्ड में रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर आवागमन का रास्ता बन्द है। मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त आराजी संख्या 3501 में रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क से प्रतिवादी कंकु पुत्री रूपा 1/4, नोजी पुत्री रूपा 1/4, प्यारचन्द पुत्र गोमा 1/2 रेगर की आराजी संख्या 3508 रकबा 0.04 है0 गे.मु. आचा मे से 0.01 है0 व प्यारचन्द पुत्र गोमा रेगर कि आराजी संख्या 3507 रकबा 0.31 है0 मे से रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 0.04 है0 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो 15 फिट चौड़ाई मे है उक्त भूमि की डीएलसी दर 1070610 प्रति हैक्टयर है। प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से एवं वैकल्पिक रास्ता ब्ल्यू स्याही से अकिंत किया गया है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 3501 के उत्तर में खातेदारी आराजी संख्या 3476 जो बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 3447 के पास स्थित है जिसमें पश्चिम मेड़ पर हो सकता है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नही है और रास्ते का एक मात्र विकल्प प्रस्तावित भूमि ही होना तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 3501 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 3507 रकबा 0.31 है0 मे से 0.03 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 3508 रकबा 0.04 है0 कुए की छुट के रकबे में रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 यानि 400 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है। जिसकी डीएलसी दर 1070610 रूपये प्रति हैक्टयर से 42824 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 85648 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:40 IST
Reason: SelfAttested

3-12-2021

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14 / 2021 (2021 / 142) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जयश्री त्रिवेदी पत्नि संदीपकुमार त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—कंकु पुत्री रूपा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नोजी पुत्री रूपा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्यारचन्द पिता गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 3501 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 3507 रकबा 0.31 है0 मे से 0.03 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 3508 रकबा 0.04 है0 कुए की छुट के रकबे में रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 यानि 400 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है। जिसकी डीएलसी दर 1070610 रूपये प्रति हैक्टयर से 42824 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 85648 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

3-12-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:40 IST
Reason: SelfAttested